2010:CGHC:11365-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2003

अपीलार्थीगण : राम प्रसाद उर्फ भकला व अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर मैं सहमत हूँ

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

निर्णय उद्घोषित करने हेतु दिनाँक 5 मई, 2010 को सूचीबद्ध करें

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

2010:CGHC:11365-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 840/2003

अपीलार्थीगण: 1. राम प्रसाद उर्फ भकला,आयु 25 वर्ष,पिता गुहा सतनामी

(जेल में) 2. देवप्रसाद उर्फ गुड्डा,आयु 28 वर्ष, पिता गुहा सतनामी

3. भानु प्रसाद आयु 22 वर्ष,पिता मोहन

4. अघनु उर्फ छकना आयु 20 वर्ष पिता गुहा सतनामी

5. गुहा आयु 70 वर्ष पिता अधर सतनामी

6. चंदन आयु 35 वर्ष पिता मोहन सतनामी

7. कमल प्रसाद आयु 30 वर्ष पिता गुहा सतनामी

8. मोहन आयु 50 वर्ष पिता अधर सतनामी

सभी निवासी- ग्राम अमलीडीह थाना मुंगेली जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वाराः थाना मुंगेली जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(अभियोजन)

{दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अधीन प्रस्तुत अपील}

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर से: श्री जी.एस. अहलूवालिया,अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से: श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

(पारित करने का दिनाँक 5 मई ,2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति **टी.पी. शर्मा** के द्वारा पारित किया गया: -

1. इस अपील में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मुंगेली, सत्र संभाग बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 48/2003 में दिनांक 30-6-2003 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव, जिसका समान उद्देश्य सुखीदास और विजेंद्र की हत्या की कोटि में आने वाला सदोष मानववध कारित करना था, और विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में, सुखीदास और विजेंद्र की हत्या की कोटि में आने वाला सदोष मानववध कारित करने हेतु, अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 और 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध किया तथा उनमें से प्रत्येक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा आजीवन कारावास एवं 2,000/- अर्थदण्ड,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा, से दण्डित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि पर इस आधार पर आक्षेप किया गया है कि बिना किसी विश्वसनीय, निर्णायक और विधिक साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया एवं इस प्रकार अविधिकता कारित की।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता पक्ष के मध्य शत्रुता थी, घटना के दिन दिनाँक 30-8-2002को लगभग 7 बजे, विजेंद्र (अब मृतक) मवेशियों को चराने के लिए

खेत में गया था, सुखीदास (अब मृतक) भी खेत में मौजूद था, सभी अपीलार्थी नाले के पास मौजूद थे, वे लाठी और कुल्हाड़ी जैसे घातक आयुधों से सज्जित थे, सर्वप्रथम उन्होंने विजेंद्र पर वार किया और उसे घोर उपहति पहुंचाईं, विजेंद्र गिर गया, सुखीदास विजेंद्र को बचाने आया, जिस पर अपीलार्थीगण ने सुखीदास पर भी वार किया और उसे घोर उपहति पहुंचाईं, सुखीदास भी गिर गया। हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3), कु. सुनीता दास (अ.सा.-4) और महेत्तारू दास (अ.सा.-5) घटनास्थल की ओर दौड़े, उन्होंने घायल विजेंद्र और सुखीदास को बैलगाड़ी में लिया और अस्पताल के लिए रवाना हुए, जब वे अस्पताल जा रहे थे, विजेंद्र और सुखीदास की उनको लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1) ने प्र.पी-1 के तहत पुलिस चौकी चिल्फी, थाना मुंगेली में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। उन्होंने प्र.पी-6 के तहत मर्ग सूचना भी दर्ज कराई। पंजीबद्ध मर्ग प्र.पी-31 के तहत दिनाँक 31-8-2002 को दर्ज किया गया था। पंजीबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी-32 के तहत दिनाँक 30-8-2002 को दर्ज किया गया था। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और प्र.पी-4 और पी-5 के तहत साक्षियों को आहूत करने के उपरांत पी-24. घटनास्थल से रक्तरंजित और सादी मिट्टी बरामद की गई, जैसा कि प्र.पी-25 और पी-26 में बताया गया है। सुखीदास के शव को प्र.पी-28 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, लोरमी में शवपरीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) ने प्र.पी-58 के अनुसार सुखीदास का शवपरीक्षण किया। और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) सिर पर 14 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव, जिसमें खोपड़ी की हड्डी (5 सेमी x 2 सेमी) का अंतर्निहित अस्थिभंग- दायाँ पेरियेटो टेम्पोरल भाग।

(2) उपरोक्त चोट के क्रम में बाईं ओर की पार्श्विका हड्डी पर मध्य रेखा को पार करते हुए 4 सेमी x 2 सेमी आकार का कटा हुआ घाव, जिसमें पार्श्विका हड्डी का अंतर्निहित अस्थिभंग 2 सेमी x 1 सेमी आकार।

(3) दाएँ स्कैपुलर क्षेत्र पर 7 सेमी x 2 सेमी आकार का नीलांगू।

सुखीदास की मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। विजेंद्र के शव को भी प्र.पी.-29 के अनुसार शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा..-13) ने विजेंद्र के शव का प्र.पी.-59 के अनुसार शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

(1) चार कटे हुए घाव (A) पार्श्विका क्षेत्र के पीछे का भाग, आकार 10 सेमी x 3 सेमी हड्डी की गहराई तक, जिसमें पार्श्विका हड्डी का अस्थिभंग शामिल है; (B) पार्श्विका हड्डी का अग्र भाग, 4 सेमी x 1 सेमी मांसपेशी तक गहरा; (C) चोट संख्या के पार्श्व और बाईं ओर 3 सेमी (B) 3 सेमी x 1 सेमी मांसपेशी तक गहरा; और (D) पार्श्विका क्षेत्र के पश्चकपाल में बाईं ओर 4 सेमी x 2 सेमी मांसपेशी तक गहरा।

(2) दो कटे हुए घाव (A) बाएं कान के पीछे, पीछे की ओर लंबवत, 3 सेमी x 1 सेमी और (B) पृष्ठीय के ऊपर, अनुप्रस्थ, 3 सेमी x 1 सेमी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विजेंद्र की मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। पटवारी ने प्र. पी-9 के अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया। विवेचना के दौरान, अपीलार्थी देवप्रसाद को अभिरक्षा में लिया गया और उसने प्र. पी-14 के अनुसार कुल्हाड़ी का प्रकटीकरण कथन किया। देवप्रसाद उर्फ गुड्डा ने रक्तरंजित कुल्हाड़ी का प्रकटीकरण किया और उसे प्र. पी-15 के अनुसार जब्त कर लिया गया। अपीलार्थी भकला को भी अभिरक्षा में लिया गया, उसने प्र. पी-6 के अनुसार लाठी का प्रकटीकरण किया और उसे भकला की निशानदेही पर प्र. पी-12 के अनुसार बरामद कर लिया गया। भकला के रक्तरंजित वस्त्र प्र. पी-13 के अनुसार जब्त कर लिए गए। देवप्रसाद के रक्तरंजित वस्त्र प्र. पी-16 के अनुसार जब्त कर लिए गए। अभियुक्त गुहा से प्र. पी-17 के अनुसार एक लाठी जब्त की गई। अपीलार्थी कमल प्रसाद से एक बैटल एक्स (कुल्हाड़ी) प्र.पी-18 के तहत जब्त की गई। अपीलार्थी मोहन से एक बरछी (नुकीला भाला) प्र.पी-19 के तहत जब्त की गई। अपीलार्थी चंदन से एक लाठी प्र.पी-20 के तहत जब्त की गई। अपीलार्थी भानु प्रसाद से एक लाठी प्र.पी-21 के तहत जब्त की गई। अपीलार्थी छकना से एक लाठी

प्र.पी-22 के तहत जब्त की गई। अभियुक्त अंजोर दास से एक लाठी प्र.पी-23 के तहत जब्त की गई। मृतक के सीलबंद वस्त्र प्र.पी-33 के तहत जब्त किए गए। अभियुक्तगण को प्र.पी-34 से प्र.पी-42 के तहत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कमल प्रसाद, मोहन, चंदन, छकना, अंजोर दास, गुहरम और भानु प्रसाद को प्र.पी.-43 से पी.-47, पी.-49 और पी.-50 के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया और बाहरी चोट पाई गई। अभियुक्त देवप्रसाद उर्फ गुड्डा और भकला को प्र.पी.-48 और पी.-50(A) के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया और दोनों अभियुक्तगण के शरीर पर खरोंच के निशान पाए गए। भकला और देवप्रसाद से जब्त की गई वस्तुएं, जैसे लाठी और कुल्हाड़ी, प्र.पी.-52 के तहत चिकित्सक के पास परीक्षण हेतु भेजा गया। डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) ने प्र.पी.-61 के तहत दोनों वस्तुओं का परीक्षण किया और रक्त की उपस्थिति का अंदेशा जताया और अभिमत दिया कि सुखीदास और विजेंद्र के शरीर पर मिली चोटें उपरोक्त हथियारों से आ सकती हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण से जब्त अन्य वस्तुओं को भी प्र.पी-51 के तहत परीक्षण के लिए भेजा गया था और उनका परीक्षण डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी-60 के तहत किया गया था। जब्त वस्तुओं को प्र.पी-54 के तहत रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और प्र.पी-56 के तहत भकला और देवप्रसाद के वस्त्रों पर रक्त की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्र.पी-57 के माध्यम से दिनाँक 2-9-2002 को मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुंगेली के समक्ष अभियोग- पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित किया, जहाँ से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया।

5. अभियुक्तगण के अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने 13 साक्षियों का परीक्षण कराया। अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराया गया, जिसमें उन्होंने

अपने विरुद्ध प्रतीत परिस्थितियों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे आरोप में फँसाए जाने का अभिवाक किया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध व दण्डित किया।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पूरजोर तर्क दिया कि दोषसिद्धि काफी हद तक कथित चक्षुदर्शी साक्षियों - हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3) - सुखीदास (अब मृत) की पत्नी, कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4) - सुखीदास (अब मृत) की पुत्री और महेत्तारू दास (अ.सा.-5) के साक्ष्य पर आधारित है, जो हितबद्ध और नातेदार साक्षी हैं, उनके साक्ष्य लोप, विरोधाभास और अतिशयोक्ति से भरे हैं, जिन का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है। विचारण के समापन के लिए केवल महेत्तारू दास (अ.सा.-5) के साक्ष्य पर ही विचार किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, देहाती नालिसी (देहाती प्रथम सूचना प्रतिवेदन) प्र.पी-1 में घटना का समय सुबह 7 बजे दर्शाया गया है, लेकिन देहाती मर्ग सूचना में घटना का समय सुबह 10 बजे दर्शाया गया है, पंजीबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी-32 में भी घटना का समय सुबह 7 बजे दर्शाया गया है, लेकिन पंजीबद्ध मर्ग प्र.पी-31 में घटना का समय सुबह 10 बजे दर्शाया गया है। इससे ज्ञात होता कि अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गढ़े गए हैं। घटना दिनाँक 30-8-2002 को हुई थी, लेकिन विवेचना अधिकारी को ही ज्ञात कारणों से, उन्होंने घटना के तीन दिवस उपरांत दिनाँक 2-9-2002 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की सूचना भेजी। मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन पी-2 और पी-3 के अनुसार तैयार की गई थी, जिससे ज्ञात होता कि मृतकों पर लाठी और कुल्हाड़ी से वार किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, किंतु इसमें हमलावरों के नाम नहीं थे, विशेषतः जब प्रयुक्त हथियारों का उल्लेख किया गया हो। इसी प्रकार, वर्तमान प्रकरण में, केवल अभियुक्त भकला और देवप्रसाद के मेमोरेंडम दर्ज किए गए हैं। रक्त केवल देवप्रसाद के वस्त्रों पर पाया गया था, अभियुक्तगण से बरामद अन्य वस्तुओं पर नहीं। देवप्रसाद और भकला से जब्त किए गए वस्त्रों और वस्तुओं को जाँच के लिए चिकित्सक के पास भेज दिया गया है। अपीलार्थी देवप्रसाद के शरीर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे संबंधित अपराध में अन्य अभियुक्तगण की संलिप्तता की संभावना समाप्त हो जाती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की गहन जाँच की आवश्यकता है और उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य की जाँच करने पर, विधि की कसौटी पर उनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और उन का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य विरुद्ध तेजा सिंह व अन्य**[1] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अवकाशों के उपरांत न्यायालय के दोबारा खुलने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में हुई विलंब को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि विधि की आवश्यकता यह है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन बिना किसी अनावश्यक विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट तक पहुँच जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **बिजॉय सिंह व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य**[2] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजना पुलिस एजेंसी के कार्य का एकमात्र बाह्य जाँच है, जो विधि द्वारा अधिरोपित है और जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में विलंब अपने आप में अभियोजन के पूरे प्रकरण को संदिग्ध नहीं बनाती, बल्कि न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सतर्क कर देती है कि क्या न्यायालय में बताया गया कथन वही था जो पहले प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज किया गया था या यह कुछ अन्य व्यक्तियों के विचार-विमर्श का परिणाम था जो वास्तव में अपराध में शामिल नहीं थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में उल्लिखित प्रतिवेदन को यथाशीघ्र भेजना विधि का अधिदेश है। विद्वान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2001) 3 SCC 147
2 JT 2002 (Suppl.1) SC 372

अधिवक्ता ने **बीर सिंह व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[3] के प्रकरण में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक साक्षी का परीक्षण कराए ताकि साक्षियों की संख्या बढ़े और अभिलेख का भार बढ़े। अभियोजन को स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण कराने की आवश्यकता है और स्वतंत्र साक्षियों के परीक्षण के अभाव में अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान उचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजना ऐसा मामला नहीं है जिस पर न्यायिक संज्ञान लिया जा सके, इसे किसी भी अन्य तथ्य की तरह साबित किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने **बलाका सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य**[4] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह सत्य है कि न्यायालय को अनाज को भूसे से, सत्य को असत्य से पृथक करने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर भी यह तभी संभव है जब सत्य को असत्य से पृथक किया जा सके। जहाँ अनाज को भूसे से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि अनाज और भूसा इतने अभिन्न रूप से मिश्रित हैं कि पृथक करने की प्रक्रिया में न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूर्णतः पृथक करके अभियोजन के लिए एक बिल्कुल नया मामला बनाना होगा, जहाँ वे प्रस्तुत किए गए हैं, वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। एक ही साक्ष्य के आधार पर चार अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने की स्थिति में, शेष अभियुक्त भी उसी साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्त होने के हकदार हैं। न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि यदि संभव हो तो वह अनाज को भूसे से पृथक करे, और यदि ऐसा संभव न हो तो सारे साक्ष्य को खारिज किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान अधिवक्ता ने **सिद्धू गोप व अन्य विरुद्ध सम्राट**[5] प्रकरण का भी हवाला दिया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य आवश्यक रूप से उसी अपराध के दोषी नहीं होते जिस अपराध के मुख्य अपराधी दोषी होते हैं। प्रकरण के तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि सदस्यों को किस अपराध के होने की संभावना थी; यदि ऐसा अपराध छोटा अपराध है, तो उन्हें तदनुसार दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। अचानक जनित झगड़े के प्रकरण में

3 1978 Cri.L.J. 177
4 1975 Cri.L.J. 1734
5 A.I.R. (33) 1946 Patna 84

विधिविरुद्ध जमाव के साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148 या 149 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने **गजानंद व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[6] प्रकरण में पारित निर्णय का भी अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि स्पष्ट साक्ष्य के प्रकरण में, जहाँ एक पक्ष हमलावर था और दूसरे पक्ष पर हमला करता है, तो स्वतंत्र लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील क्रमांक 499/2002(**एम.सी. अली व एक अन्य विरुद्ध केरल राज्य**)में दिनांक 13-4-2010 को पारित निर्णय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि बिना किसी अनावश्यक विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए और अभियोजन को स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण कराना चाहिए, विशेषतः शत्रुता के प्रकरण में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपील का पूरजोर विरोध किया और तर्क किया कि घटना सुबह 7 बजे तालाब के पास हुई, यह दो व्यक्तियों की हत्या का मामला है; अभियुक्त व्यक्ति शिकायतकर्ता पक्ष से शत्रुता रखते थे और सभी अभियुक्त घातक आयुधों से सज्जित होकर सुखीदास और विजेंद्र की हत्या की कोटि में आने वाला सदोष माननववध कारित करने के एक समान उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव किया था, और विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के अग्रसरण में उन्होंने सुखीदास और विजेंद्र की हत्या कारित की। अभियोजन ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर विधिविरुद्ध जमाव को साबित कर दिया है। अपीलार्थी घातक आयुधों से सज्जित थे, जो शिकायतकर्ता पक्ष की हत्या कारित करने के उनके आशय को दर्शाते हैं। एक बार जब विधिविरुद्ध जमाव और उसका समान उद्देश्य साबित हो जाता है, तो प्रत्येक अभियुक्त के व्यक्तिगत कृत्य या भूमिका को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल विधिविरुद्ध जमाव में शामिल होना और विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य की जानकारी ही उनकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **बाबू सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य**[7] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में चक्षुदर्शी साक्षी के नाम का उल्लेख न होने पर, ऐसे

6 A.I.R. 1954 S.C. 695
7 (1996)88 SCC 699

चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य, जो स्वतंत्र और विश्वसनीय पाए जाते हैं, को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता और मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में चक्षुदर्शी साक्षी के नाम का उल्लेख न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं है, भले ही वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत अन्यथा प्रभावित हो। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **सुखन राउत व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य**[8] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य अपराध के लिए उत्तरदायी है, जो घटना के जारी रहने और विधिविरुद्ध जमाव के गठन के दौरान किया गया है, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **बिकाऊ पाण्डेय व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य**[9] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव के गठन और उसके दायित्व के लिए प्रत्यक्ष कार्य आवश्यक नहीं है, केवल यह आवश्यक है कि उसे यह समझना चाहिए था कि जमाव विधिविरुद्ध था और भा.द.सं. की धारा 141 के परिधि में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। समान उद्देश्य का गठन परामर्श के बाद स्पष्ट सम्मति से नहीं होना चाहिए। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **हरबंस कौर व अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य**[10] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित साक्षी के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, जब पक्षपात की तर्क दिया जाता है तो यह दिखाने के लिए कारण बताना होगा कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फंसाने का हेतुक था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में दीर्घ विलंब को भी क्षमा किया जा सकता है, यदि साक्षियों के पास अभियुक्त को फंसाने का कोई हेतुक हो और उन्होंने विलंब के लिए उचित कारण बताए हों। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे **नामदेव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[11] प्रकरण का अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एकल और संबंधित साक्षी की साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकती है और उन्हें 'हितबद्ध' नहीं कहा जा सकता, ऐसे साक्षी के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक विवेचना आवश्यक है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **भगवान**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8 (2001) 10 SCC 284
9 AIR 2004 SC 997
10 2005 AIR SCW 2074
11 2007 AIR SCW 1835

सिंह व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य[12] प्रकरण का अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव के गठन, हमले से पहले पूर्व सम्मति या विचारों का मिलन आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों से समान उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाया जाना चाहिए। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **धर्मेंद्रसिंह उर्फ मानसिंह रतनसिंह विरुद्ध गुजरात राज्य**[13] के प्रकरण का अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन शिकायतकर्ता के घर पर लिखी जा सकती है और पंजीबद्ध करने के लिए भेजी जा सकती है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आगे **यूनिस उर्फ करिया विरुद्ध मध्य प्रदेश**[14] राज्य प्रकरण का अवलंब लिया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कई व्यक्तियों द्वारा देखा गया अपराध, जिनमें से तीन चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में उपस्थित हुए और जिनका साक्ष्य एक-दूसरे से मेल खा रहा हो, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त पाई गई तीन चोटें, प्रकरण को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। जब किसी एक अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य न होना विधि विरुद्ध जमाव से एकत्रित भीड़ के रूप में उसकी उपस्थिति स्थापित हो जाती है, तो उसकी ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य न होना महत्वहीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि जब अपराध में अभियुक्त की भूमिका स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है, तो उद्देश्य साबित न कर पाना महत्वहीन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विवेचना हेतु, हमने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान प्रकरण में, सुखीदास और विजेंद्र की मृत्यु मृत्यु-पूर्व घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई, मानववध को अपीलार्थीगण की ओर से पर्याप्त रूप से चुनौती नहीं दी गई है, अन्यथा यह डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13), सुखीदास प्र.पी.-58 की शव-परीक्षण प्रतिवेदन और विजेंद्र प्र.पी.-59 की शव-

12 (2002) 4 SC 85
13 (2002) 4 SCC 679
14 (2003) 1 SCC 425

परीक्षण प्रतिवेदन के साक्ष्य से भी साबित होता है, जिससे ज्ञात होता कि मृतकों के शरीर पर घातक चोटें थीं और उनके मृत्यु की प्रकृति मानववध थी।

12. प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि मुख्यतः चक्षुदर्शी साक्षियों हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3), कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4) और महेत्तारू दास (अ.सा.-5); के साक्ष्य व अभियुक्तगण की निशानदेही पर वस्तुओं की बरामदगी और अभियोगात्मक वस्तुओं पर रक्त की मौजूदगी पर आधारित है।

13.लिरावन दास डेढ़े (अ.सा.-1) - मृतक विजेंद्र के चाचा, जिन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है, ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना की तिथि को सुबह 7 बजे, घटना से एक दिन पहले हुए पूर्व विवाद के कारण, मृतक विजेंद्र अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत में मौजूद था और भारी बारिश के कारण, मृतक सुखीदास भी खेत में पानी बचाने की उचित व्यवस्था करने के लिए अपने खेत में मौजूद था, सभी अपीलार्थी नाले में छिपे हुए थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी, लाठी और नुकीला भाला (बरछी) था, उन्होंने सुखीदास और विजेंद्र से पूछा कि पिछले दिन वे उसके पुत्र को ले गए थे, फिर उन्होंने सुखीदास और विजेंद्र पर कुल्हाड़ी, लाठी और भाले से हमला कर दिया। अपीलार्थी मोहन ने सुखीदास पर भाले से उसके सिर पर वार किया, अपीलार्थी गुड्डा उर्फ देवप्रसाद ने सुखीदास पर कुल्हाड़ी से वार किया, अपीलार्थी भानु प्रसाद के हाथ में नुकीला भाला (बरछी) था और उसने सुखीदास के सिर के पिछले हिस्से पर वार किया, अपीलार्थी कमल प्रसाद ने विजेंद्र पर कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी से वार किया और बाकी अभियुक्तगण ने लाठी से वार किया। इस साक्षी ने सहायता के लिए पुकारा, महेत्तरु दास (अ.सा.-5) और कन्हैया (अ.सा.-2) ने भी सहायता के लिए चिल्लाया, जिस पर अपीलार्थीगण ने उन्हें धमकाया और इसलिए, वे घटनास्थल के पास नहीं आए और कुछ दूरी से घटना को देखते रहे। अपराध करने के बाद, अपीलार्थी मौके से भाग गए, सुखीदास और विजेंद्र गिर पड़े, वे रक्त से लथपथ थे, ग्रामीण मौके पर आए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल ले गए, किंतु अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। यह साक्षी पुलिस चौकी चिल्फी गया और प्र.पी-1 के माध्यम से प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया।

14. कन्हैया (अ.सा.-2) ने कथन किया है कि वह घटनास्थल के पास मौजूद था उस समय, विजेंद्र और अभियुक्त भाकला झगड़ रहे थे, उनके मध्य कुछ झगड़ा हुआ और सबसे पहले अपीलार्थीगण ने विजेंद्र पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप विजेंद्र गिर गया, उसके बाद सुखीदास अपने खेत से आया वह भी बुरी तरह घायल था, उसके सिर से रक्त बह रहा था और थोड़ी दूरी से उसने (इस साक्षी ने) अभियुक्तगण से कहा कि वे उन पर हमला न करें जिस पर उन्होंने उसे धमकी दी। उनके साक्ष्य के अनुसार, महेत्तरु दास (अ.सा.-5) भी घटनास्थल के पास मौजूद थे, अपीलार्थी भकला और मृतक विजेंद्र झगड़ रहे थे, उनके मध्य कुछ कहासुनी हुई और इस साक्षी ने उन्हें झगड़ा न करने के लिए कहा, उसी समय, अपीलार्थी गुड्डा आया, उसके हाथ में एक लाठी थी और जब यह साक्षी नाले के पास, यानी घटनास्थल पर पहुँचा, तो उसने पाया कि विजेंद्र ज़मीन पर पड़ा था, सुखीदास भी अपने खेत की ओर आया, अपीलार्थी भकला और गुड्डा ने सुखीदास पर लाठी से वार किया, सुखीदास ने इस साक्षी से उसे बचाने के लिए कहा और इस साक्षी ने सुखीदास को बचाने का प्रयत्न किया किंतु सुखीदास गिर गया। अपीलार्थी भकला ने पुनः सुखीदास पर लाठी से वार किया और उसके बाद, अपीलार्थी भकला और गुड्डा मौके से भाग गए। अभियोजन के अनुसार, इस साक्षी ने अभियोजन के प्रकरण का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इस साक्षी ने पर्याप्त रूप से यह साक्ष्य दिया है कि केवल भकला और गुड्डा ने ही मृतक सुखीदास पर वार किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15- श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3) - मृतक सुखीदास की पत्नी, ने हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1) के साक्ष्य की काफी हद तक पुष्टि की है। कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4) - मृतक सुखीदास की पुत्री ने भी हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1) और श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की पुष्टि की है।

16. वर्तमान प्रकरण में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में विलंब के संबंध में काफी बहस हुई है। प्र.पी.-1 के अनुसार, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनाँक 30-8-2002 को दोपहर 12.30 बजे शून्य क्रमांक पर दर्ज की गई थी, जिसे पंजीबद्ध करने हेतु भेजा गया और प्र.पी.-32 के तहत, अपराध क्रमांक 271/2002 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, जिसे मुंगेली पुलिस थाना द्वारा दर्ज किया गया। देहाती मर्ग क्रमांक 0/1, 0/2 वर्ष 2002, दिनाँक 30-8-2002 को दोपहर 12.35 बजे प्र.पी- 6 के तहत दर्ज किया गया और पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 49/50 वर्ष 2002, 31-8-2002 को दोपहर 3.20 बजे प्र.पी-31 के तहत दर्ज किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली को भेजी गई, जो संबंधित न्यायालय को प्र.पी-57 के तहत कथित घटना के चौथे दिन और पंजीबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने के तीसरे दिन दिनाँक 2-9-2002 को प्राप्त हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि न्यायालय में बिना नंबर वाली प्रथम सूचना प्रतिवेदन या देहाती नालसी या देहाती मर्ग दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, कथित प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.-1 और देहाती मर्ग प्र.पी.-6 कोई विधिक मान्यता नहीं देते हैं और केवल वैधानिक अनुमान ही संभव होगा कि मर्ग और प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमशः प्र.पी.-31 और पी-32 के तहत दिनाँक 31-8-2002 को दर्ज किए गए थे।

18. यह सत्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में देहाती नालसी या देहाती मर्ग दर्ज करने का प्रावधान नहीं है, परंतु न्यायालय यह प्रावधान करता है कि किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अविलंब दर्ज की जाएगी। वर्तमान प्रकरण में, सूचनाकर्ता ने मुंगेली थाने की चिल्फी पुलिस चौकी में प्र.पी-1 और देहाती मर्ग में प्र.पी-6 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है। इन दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा के अभाव में, ऐसी सूचना दर्ज करने से इनकार करना या व्यक्ति को उक्त सूचना दर्ज कराने के लिए थाने

जाने का निर्देश देना उचित नहीं होगा और यह संहिता की योजना और भावना के अनुरूप नहीं होगा। यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को थाने में या अपने क्षेत्रीय अधिकारिता में कहीं भी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन सूचना दर्ज करनी होगी और ऐसी सूचना को पंजीबद्ध करने हेतु संबंधित पुलिस थाने को भेजना होगा और अपराध की जांच शुरू करनी होगी। ऐसे दस्तावेज़ का पंजीकरण न होने से दाण्डिक न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संज्ञेय अपराध की जांच करने की विवेचना अधिकारी की शक्ति समाप्त नहीं होती है। इसलिए, हम अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि विवेचना अधिकारी ने केवल दिनाँक 31-8-2002 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की है और संहिता के प्रावधानों के अनुसार दिनाँक 30-8-2002 को प्रथम सूचना प्रतिवेदन और देहाती मर्ग दर्ज नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अनुसार, मजिस्ट्रेट को विशेष प्रतिवेदन/प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति बिना किसी विलंब के भेजने के संबंध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि अपराध की विवेचना के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत सशक्त विवेचना अधिकारी, तुरंत उसकी रिपोर्ट, अर्थात् उसे प्राप्त जानकारी, उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और स्वयं कार्यवाही करेगा, या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों की अन्वेषण करने के लिए घटनास्थल पर जाने के लिए नियुक्त करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की उप-धारा (1) निम्नानुसार है:-

> **157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया** (1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट

पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे :

परंतु

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस प्रकरण का अन्वेषण न करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के प्रावधान पुलिस एजेंसी के कामकाज पर एकमात्र बाह्य अन्वेषण हैं। विवेचना अधिकारी को संबंधित मजिस्ट्रेट को तुरंत विशेष प्रतिवेदन/प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने **बीर सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में,अभिनिर्धारित किया है अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि उसने संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेज दी है। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने थाना प्रभारी मृगेंद्र बहादुर सिंह (अ.सा.-12) और ऐसे दस्तावेज़ की प्राप्ति की जाँच करके उक्त तथ्य को साबित कर दिया है।

21. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत विशेष प्रतिवेदन भेजने के प्रश्न पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **बिजॉय सिंह** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन को

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत विशेष प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है और यह पुलिस एजेंसी के कामकाज पर एकमात्र बाहरी नियंत्रण है, जो विधि द्वारा लगाया गया है और जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति भेजने में विलंब से अभियोजन का पूरा मामला संदिग्ध नहीं हो जाता। इन परिस्थितियों में, अभियोजन को इस विलंब का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है और यदि उचित, विचारणीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। उक्त निर्णय की कण्डिका 7 निम्नानुसार है,

> 7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत विशेष प्रतिवेदन की प्रति मजिस्ट्रेट को भेजना, पुलिस एजेंसी के कामकाज पर एकमात्र बाहरी जाँच है, जो विधि द्वारा निर्धारित की जाती है और जिसका कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में विलंब से अभियोजन का पूरा मामला संदिग्ध नहीं हो सकता है, लेकिन न्यायालय को यह पता लगाने के लिए सतर्क रहना होगा कि क्या न्यायालय में बताया गया कथन प्रथम सूचना प्रतिवेदन में पहले दर्ज किए गए कथन जैसा ही था या यह विचार-विमर्श का परिणाम था जिसमें कुछ अन्य व्यक्ति शामिल थे जो वास्तव में अपराध में शामिल नहीं थे। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में उल्लिखित रिपोर्ट को तुरंत भेजना विधि का आदेश है। विलंब होने पर अभियोजन को इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। यदि विलंब का उचित स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन विलंब का स्पष्टीकरण न देने पर न्यायालय को अभियोजन के कथन का सूक्ष्मतापूर्वक परीक्षण करना होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध में कोई निर्दोष व्यक्ति शामिल है या नहीं। अभियुक्त पर विलंब का स्पष्टीकरण माँगने का दबाव डालना विधि की आवश्यकता नहीं है। अभियोजन को हमेशा ऐसे विलंब का स्पष्टीकरण देना होता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और यदि उचित, प्रशंसनीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।"

22. **तेजा सिंह** (पूर्वोक्त) प्रकरण में इसी प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवकाशों के कारण न्यायालय बंद होने के कारण मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में हुई विलंब को स्वीकार नहीं किया है, किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

23. **एम.सी. अली** (पूर्वोक्त) प्रकरण में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट को भेजने में हुए विलंब के लिए कोई उचित और विचारणीय स्पष्टीकरण न मिलने पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विशेष प्रतिवेदन भेजने में हुए विलंब ने अभियोजन को प्रकरण में हेरफेर करने और निर्दोष व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने का अवसर दिया है, जिन्हें अ.सा.-5 और उसके परिवार के साथ शत्रुता रखने वाला माना गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, **परेश कल्याणदास भावसार विरुद्ध सादिक याकूबभाई जमादार व अन्य**[15] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में नौ दिवस का विलंब, यदि उचित रूप से समझाया जाए, अभियोजन के लिए घातक नहीं है। उपर्युक्त प्रकरण में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनाँक 8-4-90 को दर्ज की गई थी और यह दिनाँक 17-4-90 को मजिस्ट्रेट के पास पहुँची। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध की प्रकृति को विचार में रखते हुए, भले ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में कुछ विलंब हुआ हो, यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं है कि इसे बाद में अस्तित्व में लाया गया होगा और यह मानते हुए कि विलंब हुआ है, न्यायालय को

15 AIR1993 SC 1544

यह देखना होगा कि क्या रिपोर्ट में ऐसे संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह बाद के विचार-विमर्श का परिणाम था।

25. प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में विलंब के प्रभाव के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सरवन सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य**[16] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन भेजने में केवल विलंब ही ऐसी परिस्थिति नहीं है जो अभियोजन के प्रकरण को पूरी तरह से खारिज कर दे।

26. **तारा सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य**[17] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में पुलिस द्वारा छह घंटे का विलंब अत्यधिक और अस्पष्ट नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. मजिस्ट्रेट को विशेष प्रतिवेदन भेजने में विलंब के प्रश्न पर विचार करते हुए, **महमूद व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य**[18] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि इस बारे में कोई सार्वभौमिक नियम निर्धारित करना संभव नहीं है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी द्वारा विशेष प्रतिवेदन कितने समय के भीतर भेजी जानी चाहिए। प्रत्येक मामला अपने-अपने तथ्यों पर आधारित होता है। उपर्युक्त प्रकरण में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनाँक 19-2-1977 को दर्ज की गई थी और विशेष प्रतिवेदन दिनाँक 21-2-1977 को भेजी गई थी, इसी मध्य अभियुक्त मैकू भुजवा को दो आरक्षकों द्वारा एक अन्य प्रकरण में गिरफ्तार कर पुलिस लॉकअप में बंद कर दिया गया था। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति भेजने में विलंब का उचित स्पष्टीकरण दिया गया था और प्रथम सूचना प्रतिवेदन/विशेष प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में विलंब के स्पष्टीकरण के प्रकरण में, अभियोजन के प्रकरण पर इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुरानी हो सकती है।

---

16 (1976) 4 SCC 369
17 1991 Supp (1) SCC 536
18 2008 Cri.L.J. 696

28. वर्तमान प्रकरण में, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति अपराध घटित होने के चौथे दिन 2-9-2002 को मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी। इन परिस्थितियों में, अभियोजन को ऐसी रिपोर्ट भेजने में हुए विलंब का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। मृगेंद्र बहादुर सिंह (अ.सा.-12) - विवेचना अधिकारी ने अपने साक्ष्य के कण्डिका 2 में यह प्रमाणित किया है कि संबंधित मजिस्ट्रेट की रसीद प्र.पी.-57 है। अपनी विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, बचाव पक्ष ने मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भेजने में हुए विलंब के संबंध में कुछ भी नहीं पूछा है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सभी अपीलार्थीगण के नाम और घटित घटना का विवरण दिया गया है। हालाँकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन तैयार की गई मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में हथियारों और हमलावरों के नाम का उल्लेख करना कोई विधिक बाध्यता नहीं है, लेकिन मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन के प्र.पी.-2 और पी-3 से ज्ञात होता कि अपराध के हथियारों में लाठी और कुल्हाड़ी लिखी गई थी। हालाँकि, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन में हमलावर का नाम नहीं बताया गया है। देहाती मर्ग प्र.पी-6 में सभी अपीलार्थीगण के नाम भी शामिल हैं। वर्तमान प्रकरण में, दिनाँक 2-9-2002 को प्रकटीकरण कथन दर्ज किए गए थे और पुलिस ने दिनाँक2-9-2002 को विभिन्न अभियुक्तगण से वस्तुएं जब्त की थीं। अभियुक्तगण को दिनाँक2-9-2002 को गिरफ्तार भी किया गया था। सभी अभियुक्तगण को प्र.पी-43 से पी-50ए के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन रामप्रसाद उर्फ भकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा को छोड़कर, किसी भी अपीलार्थी के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। देवप्रसाद उर्फ गुड्डा के शरीर पर दो खरोंच के निशान पाए गए और रामप्रसाद उर्फ भकला के शरीर पर दो खरोंच के निशान पाए गए। उन्हें प्र.पी-48 और पी-50ए के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें पुलिस ने उल्लेख किया है कि विजेंद्र/सुखीदास के साथ घटना के दौरान ये अभियुक्त चोटें आई हैं। दिनाँक 17-9-2002 को पुलिस ने अपीलार्थी रामप्रसाद उर्फ भकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा से जब्त किए गए वस्त्रों को जांच के लिए प्र. पी-53 के तहत चिकित्सक के पास भेजा और उनकी जांच डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) ने प्र. पी-62 के तहत की। दिनाँक 17-9-2002 को, इन दोनों अभियुक्तगण से जब्त की गई लाठी और कुल्हाड़ी को प्र. पी-52 के तहत परीक्षण के लिए भेजा गया और उनका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परीक्षण डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) ने प्र. पी-61 के तहत किया। रक्त रंजित और सादी मिट्टी के परीक्षण के लिए आवेदन पत्र, प्र. पी-51 में भी उपरोक्त दोनों अपीलार्थीगण के नाम शामिल हैं।

29. बचाव पक्ष ने हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1) से विस्तार से प्रतिपरीक्षण कराया। उनके साक्ष्य, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.-1 और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 (प्र.डी.-1) के अधीन दर्ज उनके पिछले कथन में विरोधाभास और लोप हैं। उनके साक्ष्य के अनुसार, सभी अपीलार्थीगण ने दोनों मृतकों पर वार किया है। अपीलार्थी नाले में छिपे हुए थे। लेकिन अपीलार्थीगण के नाले में छिपे होने का तथ्य प्र.पी.-1 और डी-1 में जगह नहीं पाता है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.-1 के अनुसार, सभी अपीलार्थी खेत में मौजूद थे और दोनों मृतकों पर वार किया, हालांकि सभी हमलावरों, चक्षुदर्शी साक्षियों और अपराध के विवरण के नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन में केवल ठोस जानकारी का उल्लेख करने की आवश्यकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विधिक आवश्यकता के अनुसार, किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, उसके द्वारा या उसके निर्देश पर उसे दी गई संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित सूचना को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा और सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाएगा। उसे विस्तृत सूचना दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(3) के अंतर्गत, पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए कथन को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन विस्तृत सूचना को नहीं, बल्कि ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए कथन के सार के रूप में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. इन परिस्थितियों में, न्यायालय में दर्ज विस्तृत कथन, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दर्ज सार और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए कथन में विरोधाभास और लोप स्वाभाविक हैं, लेकिन अभियोजन को साक्ष्य में लोप, विरोधाभास, परिवर्धन और अतिशयोक्ति से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करना आवश्यक है। यद्यपि केवल अतिशयोक्ति, लोप और विरोधाभास के आधार पर, चाहे वह मूलतः कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्षी के साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, परन्तु न्यायालय को साक्ष्य

का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना आवश्यक है। यहाँ तक कि किसी साक्षी के साक्ष्य का एक अंश भी, यदि स्पष्टतः झूठा हो, तो भी साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। "एक बात में झूठ, हर बात में झूठ"वाली उक्ति भारत में लागू नहीं होती।

31. उस व्यक्ति के साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए जिसने बढ़ा-चढ़ाकर और स्पष्ट रूप से कुछ हद तक झूठा कथन दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **लक्ष्मण व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[19] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्षियों को पूरी तरह से झूठा नहीं ठहराया जा सकता और उनके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके कथनों के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। सुसंगत अंश निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "इससे पहले कि हम साक्ष्यों पर आगे विश्लेषण करें, हम देख सकते हैं कि प्रोफ़ेसर मुंस्टरबर्ग ने अपनी पुस्तक "ऑन द विटनेस स्टैंड" "लॉ एंड द मॉडर्न (पृष्ठ 51), माइंड" (देखें: 1949 संस्करण पृष्ठ 106) में ऐसे प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं जिनमें अचानक अप्रत्याशित पूर्व नियोजित घटनाओं को उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें उसके तुरंत बाद लिखने के लिए कहा गया था कि उन्होंने क्या देखा और सुना था। आश्चर्यजनक परिणाम यह था:
>
> "शब्द उन लोगों के मुँह में डाल दिए गए जो इस पूरे छोटे से प्रकरण के दौरान मूक दर्शक बने रहे; मुख्य प्रतिभागियों पर ऐसे कृत्य थोप दिए गए जिनका ज़रा भी निशान नहीं था; और दुखद-हास्य के ज़रूरी हिस्सों को कई साक्षियों की स्मृति से पूरी तरह मिटा दिया गया" इसलिए, प्रोफ़ेसर ने निष्कर्ष निकाला: "हम कभी नहीं जानते, या कल्पना नहीं करते"। इसलिए, साक्षियों को पूरी तरह से झूठा नहीं

19 AIR 1974 SC 308

ठहराया जा सकता और उनकी साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके कथनों के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। चतुर न्यायाधीश स्वीकार्य सत्य के कणों को अतिशयोक्ति और असंभावनाओं के भूसे से पृथक कर सकता है जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण तरीके से स्वीकार या कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अनिवार्य रूप से अपूर्ण मानवीय साक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय, यांत्रिक रूप से लागू करने से इनकार करना एक सामान्य ज्ञान है: "एक बात में झूठ, हर बात में झूठ"

32. न्यायालय को अनाज को भूसे से पृथक करना आवश्यक है, यदि पृथक किया जा सके। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने हीरावन दास डेढ़े (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3), कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4) और महेत्तारू दास (अ.सा.-5) से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण कराया है। उनके कथनों में नजरी नक्शा और घटनास्थल से संबंधित महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, एक साक्षी का कहना है कि नाला तालाब से सटा हुआ है, एक अन्य साक्षी का कहना है कि नाला खेत से सटा हुआ है और खेत तालाब से सटा हुआ है। लेकिन अंततः सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि घटना नाले और तालाब के पास हुई थी। नाले और तालाब के पास शव भी मिले थे। अपीलार्थीगण द्वारा घटनास्थल पर भी पर्याप्त रूप से विवाद नहीं किया गया है। इसलिए, केवल खेत से संबंधित विसंगति अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य या उनकी विश्वसनीयता के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3) और कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4), जो मृतक के करीबी नातेदार हैं और अपीलार्थीगण के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखते हैं, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि सभी अपीलार्थी मौके पर मौजूद थे, उनके हाथों में कुल्हाड़ी,, नुकीला भाला (बरछी) और लाठी थी, और उन सभी ने दोनों मृतकों पर वार किया। हीरावन दास डेढे (अ.सा.-1) ने दावा किया है कि उन्होंने घटना को शुरू से ही देखा है, सबसे पहले अपीलार्थीगण और विजेंद्र के बीच कुछ कहासुनी हुई, विजेंद्र पर वार किया गया और उसके बाद अपीलार्थीगण ने सुखीदास पर वार किया। कन्हैया

(अ.सा.-2) ने साक्ष्य दिया है कि मृतक विजेंद्र और अपीलार्थी रामप्रसाद उर्फ भकला झगड़ रहे थे, उनके मध्य कुछ कहासुनी हुई, फिर अपीलार्थीगण ने विजेंद्र पर वार किया और उसके बाद, सुखीदास अपने खेत से मौके पर आया जिस पर भी अपीलार्थीगण ने वार किया। श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3) और कुमारी सुनीता दास (अ.सा.-4) बातचीत सुनने के बाद मौके पर पहुँचीं और उन्होंने घटना देखी। महेत्तरु दास (अ.सा.-5), जिन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और जिन्हें अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है, ने आंशिक रूप से अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया है। उनके साक्ष्य के अनुसार, दो अभियुक्तगण रामप्रसाद उर्फ भकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा ने पहले विजेंद्र और फिर सुखीदास पर वार किया था।

34. डॉ. जी.एस. दाऊ (अ.सा.-13) के अनुसार, सुखीदास के शरीर पर दो कटा हुआ घाव और एक चोट का निशान पाया गया, इसी प्रकार विजेंद्र के शरीर पर छह चोटें (कटा हुआ घाव) पाया गया। विजेंद्र के शरीर पर लाठी या किसी बोथरे वस्तु का कोई निशान नहीं पाया गया, सुखीदास के शरीर पर केवल एक बोथरे वस्तु का निशान पाया गया। चिकित्सक ने सभी अभियुक्तगण की परीक्षण किया और रामप्रसाद उर्फ भाकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा के शरीर को छोड़कर अभियुक्तगण के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं पाई गई। अभियोजन ने सभी अभियुक्तगण से कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, भाला, लाठी और वस्त्र जब्त कर लिए हैं, लेकिन केवल रामप्रसाद उर्फ भाकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा से जब्त की गई वस्तुएं, यानी लाठी और कुल्हाड़ी, चिकित्सक के पास परीक्षण के लिए भेजी गई हैं। रासायनिक परीक्षण में, केवल अपीलार्थी रामप्रसाद उर्फ़ भकला और देवप्रसाद उर्फ़ गुड्डा के वस्त्रों पर ही रक्त पाया गया, रिपोर्ट प्र. पी-56 देखें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. हिरावन दास डेढ़े (अ.सा.-1), कन्हैया (अ.सा.-2), श्रीमती शांति बाई (अ.सा.-3), कु. सुनीता दास (अ.सा.-4) और महेत्तरू दास (अ.सा.-5) के साक्ष्यों की गहन विवेचना के उपरांत, हमारा मानना है कि अपीलार्थी रामप्रसाद उर्फ भकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा के विरुद्ध विजेंद्र और सुखीदास को घोर उपहति कारित करने का साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों अभियुक्तगण ने विजेंद्र और

सुखीदास पर कुल्हाड़ी से वार किया है, और इस प्रकार उन्हें घोर उपहति पहुँचाईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

36. अन्य अपीलार्थीगण की भूमिका के संबंध में, साक्ष्य विरोधाभासी हैं, यहाँ तक कि अभियोजन ने अन्य अपीलार्थीगण से जब्त की गई वस्तुओं को भी जाँच के लिए चिकित्सक के पास नहीं भेजा है और अन्य अपीलार्थीगण के वस्त्रों पर कोई रक्त नहीं पाया गया। चोटों की संख्या और प्रकृति से यह भी ज्ञात होता कि सुखीदास को केवल दो चोटें धारदार हथियार से और एक चोट बोथरे वस्तु से लगी थी, इसी प्रकार विजेंद्र को धारदार हथियार से छह चोटें आईं, लेकिन विजेंद्र के शरीर पर छेदने वाली वस्तु बरछी या लाठी जैसी किसी से कोई चोट नहीं पाई गई। उभयपक्ष के मध्य शत्रुता थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

37. सामान्यतः, कोई करीबी नातेदार वास्तविक अपराधी को छुपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होता है। नातेदार साक्षियों के साक्ष्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य[20] के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने या जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए न्यायालय को उनके साक्ष्यों की बहुत सावधानी और सतर्कता से जाँच करनी चाहिए। पक्षद्रोही साक्षियों के प्रकरण में, अपने दुश्मन को दोषसिद्धि दिलाने के लिए उसे फंसाने की प्रवृत्ति होती है। उपर्युक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कण्डिका 48 निम्नानुसार है,

> "48. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है। वे सभी व्यक्ति जिनके सामने मौखिक कथन कहा जाता है कि मंजू ने बीड में आखिरी बार आने पर दिए थे, मृतक के करीबी नातेदार और मित्र हैं। घनिष्ठ संबंध और स्नेह को देखते हुए, साक्षी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से

20 AIR 1984 SC 1622

अतिशयोक्ति करने या ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो शायद उन्हें बताए ही न गए हों। ऐसा नहीं है कि यह जानबूझकर किया जाता है, बल्कि अनजाने में भी मृतक के प्रति प्रेम और स्नेह कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा कर सकता है और इसलिए, न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की बहुत सावधानी और सतर्कता से जांच करनी होगी। भले ही साक्षी सच्चाई का एक हिस्सा या शायद पूरा सच बोल रहे हों, वे अभियुक्त व्यक्ति के प्रति बदले या प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होंगे और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते थे ऐसा कहा गया हो सकता है कि

कल्पना की जा सकती है कि साक्षियों द्वारा अनजाने कहा गया था ताकि अपराधी को दण्ड मिले। यह मानव मनोविज्ञान है और कोई भी इसमें सहायता नहीं कर सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बलाका** (पूर्वोक्त) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है, न्यायालय को अनाज को भूसे से, सत्य को असत्य से पृथक करने का प्रयत्न करना चाहिए, यद्यपि यह तभी संभव है जब सत्य को असत्य से पृथक किया जा सके। जहाँ अनाज को भूसे से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि अनाज और भूसा इतने अभिन्न रूप से मिश्रित हैं कि पृथक करने की प्रक्रिया में न्यायालय को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूरी तरह पृथक करके अभियोजन के लिए एक बिल्कुल नया प्रकरण तैयार करना होगा जिसके विरुद्ध वे प्रस्तुत हैं, वहाँ यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।

39. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन के अनुसार, उस घटना के दिन मृतक विजेंद्र मवेशी चराने के लिए खेत में गया था और मृतक और सुखीदास अपने खेत का पानी बचाने के लिए खेत में गए थे। घटना सुबह 7 बजे हुई। अभियोजन ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि सभी अभियुक्तगण को पता था कि दोनों मृतक व्यक्ति मवेशी चराने या खेत में पानी बचाने के लिए खेत में आएंगे और वे मृतकों

की हत्या करने के समान उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। अभियोजन ने भी यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं जुटाया है कि सभी अभियुक्त गाँव से घातक आयुध लेकर गए थे। जैसा कि उपरोक्त प्रकरणों में उभयपक्ष द्वारा माना गया है, यह दर्शाने के लिए कुछ साक्ष्य होने चाहिए कि अभियुक्त किसी स्थान पर एकत्र हुए थे या वे मृतक का इंतजार कर रहे थे या मृतक के घटनास्थल पर मौजूद होने की संभावना थी। अन्य बातों के अलावा, साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि मृतक विजेंद्र के साथ उनका कोई विवाद था। चिकित्सकीय साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता कि सभी अपीलार्थीगण ने अपराध में भाग नहीं लिया है। उनके कथित पिछले और बाद के आचरण को देखते हुए, यह मानना कठिन है कि अपीलार्थीगण ने विजेंद्र और सुखीदास की हत्या करने के समान उद्देश्य से विधिविरुद्ध जमाव किया था।

40. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर विजेंद्र और सुखीदास की हत्या के लिए सभी अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है, यद्यपि, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थीगण रामप्रसाद उर्फ भाकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा को विजेंद्र और सुखीदास की हत्या कारित करने हेतु दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करते समय, विचारण न्यायालय ने विधिविरुद्ध जमाव के गठन और उसके समान उद्देश्य के प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया एवं इस प्रकार अविधिकता कारित की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(क) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अधीन सभी अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं और उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(ख) अपीलार्थी क्रमांक 3 से 8, अर्थात् भानु प्रसाद, अघनु उर्फ छकना, गुहा, चंदन, कमल प्रसाद और मोहन की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्धि व दण्डादेश भी अपास्त की जाती हैं और उन्हें उक्त आरोप से

दोषमुक्त किया जाता है। वे अभिरक्षा में हैं, और यदि किसी अन्य प्रकरण में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें अविलंब रिहा किया जाए।

(ग) अपीलार्थी रामप्रसाद उर्फ भकला और देवप्रसाद उर्फ गुड्डा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अधीन दोषसिद्ध करने के बजाय, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। यद्यपि, उन पर अधिरोपित दण्डादेश को यथावत रखा जाता है।

सही/-
(टी.पी.शर्मा)
न्यायाधीश

सही/-
(आर.एल. झंवर)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri